राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : एफ1(1)/आर.यू.आई.डी.पी./पीएमयू/पद/2001-02/13231 दिनांक : 27-11-07

परियोजना निदेशक
राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट,
जयपुर

विषय :- आरयूआईडीपी के द्वितीय (RUSDIP) चरण में 15 परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के कार्यालयों का गठन व उनमें नये पदों के सृजन की स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आर.यू.आई.डी.पी. के द्वितीय चरण में परियोजना क्रियान्वयन इकाई- **अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, सवाईमाधोपुर, चित्तौडगढ, धौलपुर, नागौर, बूंदी, बाडमेर, बांरा-छबडा, करौली, जैसलमेर, राजसमंद एवं झालावाड-झालरापाटन** के कार्यालयों का गठन किया जाता है। इन कार्यालयों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. स.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला	पदों की कुल सं.	अन्य विवरण
1.	अधिशाषी अभियन्ता	10000-15200	15	
2.	सहायक अभियन्ता	8000-13500	80	
3.	कम्यूनिटी लाइजन आफिसर (सी.एल.ओ.)	8000-13500	07	ऋण अनुबंध की शर्तों में यदि आवश्यक हो।
4.	लेखाकार	5500-9000	15	
5.	शीघ्र लिपिक	5000-8000	15	
6.	कनिष्ठ लिपिक		30	कम्प्यूटर मय आपरेटर अनुबंध पर निर्धारित सीमा में
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		30	भू.पू. सैनिक कल्याण बोर्ड / समिति के माध्यम से
	कुल योग		**192**	

अधिशाषी अभियन्ता परियोजना क्रियान्वयन इकाई का नियन्त्रक रहेगा। उक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

1. परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन टेण्डर कार्य के अन्तिम निर्णय होने पर किया जायेगा। किन्तु डी.पी.आर. का अनुमोदन होने पर एक अधिशाषी अभियंता के साथ दो सहायक अभियंताओं की टीम का गठन किया जायेगा जो संबंधित शहर में कराये जाने वाले कार्य को देखेगें तथा टेण्डर कार्य का अन्तिम रूप देंगे।
2. समस्त पद राज्य सरकार के विभागों या स्थानीय निकायों या सरकारी उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जावेंगे।
3. उक्त पदो के विरूद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी प्रकार का अधिक वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति भत्ता या प्रोजेक्ट भत्ता देय नहीं होगा।
4. स्वीकृत पदों पर पदस्थापन परियोजना निदेशक की मांग के अनुसार ही किया जायेगा।
5. परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यालय का संस्थापन व्यय निम्न प्रकार होगाः

क्र. सं.	विवरण	व्यय सीमा
1	कार्यालय भवन	जी.ए.डी. द्वारा निर्धारित सीमा में किराये पर।
2	फर्नीचर	35.00 लाख (सभी पीआईयू हेतु)
3	किराये पर वाहन	15 जीप (अधिकतम सीमा 12500/- प्रतिमाह)
4	टेलीफोन	15 कार्यालय हेतु 15 आवास (स्थायी फोन के स्थान पर मोबाईल फोन)

उपरोक्त वर्णित पदों पर होने वाला व्यय निम्न बजट मद को प्रभार्य होगा :-

4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
60 - अन्य शहरी विकास योजनाएँ
050 - भूमि
(03) - आरयूआईडीपी द्वितीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास (आयोजना मद) ई.ए.पी.

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. सं. वित्त व्यय-3 विभाग 1102 दिनांक 30.08.2007 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार प्रसारित की जाती है।

शासन सचिव

क्रमांक : एफ1(1)/आर.यू.आई.डी.पी./पीएमयू/पद/2001-02/13231-50 दिनांक : 27-11-07

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-III)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कलेक्टर, अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, सवाईमाधोपुर, चित्तौडगढ, धौलपुर, नागौर, बूंदी, बाडमेर, बांरा-छबडा, करौली, जैसलमेर, राजसमंद एवं झालावाड-झालरापाटन ।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, सवाईमाधोपुर, चित्तौडगढ, धौलपुर, नागौर, बूंदी, बाडमेर, बांरा-छबडा, करौली, जैसलमेर, राजसमंद एवं झालावाड-झालरापाटन ।
7. आरक्षी पत्रावली।

शासन सचिव